

संख्या - 5716

/15-7-04-16134 ||/2004

प्रेषक,

किस प्रकाश गुप्त,  
समुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

तेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2  
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नईदिल्ली ।

शिक्षा १७। अनुभाग

लेखनमें दिनांक: १० सितम्बर, 2004

विषय:- कैम्ब्रिज कान्चेट स्कूल पुवायाँ शाहजहाँपुर को सी०बी०स्त०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

मठोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे घट छहनौं का निदैश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०स्त०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १।। विद्यालय की प्रंजीकृत सौसायटी का सम्बन्ध सभ्य पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- २।। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- ३।। विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐधारी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०या०शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न क्षात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- ४।। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद् की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०या०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा ।



- 15। संस्था के शैक्षिक सर्वं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य देतनमानों तथा अन्य भल्लों से ता देतनमान तथा अन्य भल्ले नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाए गी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासलीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा-निवृत्ति का ताब्द उपतब्य कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा सम्प्रसम्प्र पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विधालय का रिळाई निधार्फित प्रपञ्च/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार लेमूवार्नुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

1। उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्प्र पट पापा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूँग या शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लै लिया जायेगा ।

भवदीय,

१। इस प्रकाश गुप्त  
संयुक्त राज्य ।

### पूर्णसंस्कृत दिनांक त्रैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
  - 2- मानवीय संसुखा शिक्षा निदेशक, बरेली ।
  - 3- जिला विधालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ।
  - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, ३०४०, लखनऊ ।
  - 5- प्रबंधक, कैम्ब्रिज कान्वेंट स्कूल पुवाया शाहजहांपुर ।
  - 6- गार्ड बुक ।

आज्ञां ऐ,

१। इस प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त राज्य ।

प्रकाशना द्वारा प्राप्त वापी से उत्तर सरकार पर संठ पालनाद्वाया पारदृश्य  
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०४० ग्राम्यमिक शिक्षा परिषद  
द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।